न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 06 वर्ष 2017

आवेदक–कैला माँझी सम्प्रति छोटकी देवी
ग्राम – केरी
थाना – महुआटाँड़ जिला–बोकारो

क्रेता– ललिता देवी
ग्राम –केरी टोला——
थाना – महुआटाँड़ जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के आरे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदक– छोटकी देवी पति स्व0 कैला माँझी निवासी ग्राम केरी थाना–महुआटाँड़ जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
केरी	135	08	724	2.81 ए0	93⅔ डी0	कृषि योग्य

को वे अपना मकान की मरम्मति खर्च हेतु मो0 5,55,000/– (पाँच लाख पचपन हजार) रूपये में क्रेता–ललिता देवी पति बिनोद चन्द्र हाँसदा निवासी ग्राम– केरी थाना –महुआटाँड़ जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 62/रा0 दिनांक 28.01.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 362 दिनांक 19.04.2017 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता छोटकी देवी एवं क्रेता ललिता देवी दोनों संताल जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम–केरी थाना–महुआटांड जिला–बोकारो का मूल एवं वर्तमान निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली जमीन बिक्रेता के परदादा गोलाई माँझी एवं भतुआ माँझी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा इसकी जमाबन्दी भी पंजी–II में खतियानी रैयत के नाम से दर्ज है तथा वर्ष 2011–12 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता छोटकी देवी माँझी द्वारा अपने व्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा गोलाई माँझी एवं भतुआ के नाम सर्वे–खतियान में दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी भी उन्हीं के नाम चल रही है। बिक्री वाली जमीन घरेलु बँटवारा के उनके पति के हिस्से की जमीन है। उनके पति आवेदन के समय अस्वस्थ रहने के कारण अपना ईलाज खर्च हेतु आवेदित जमीन की बिक्री के लिए वे संयुक्त रूप से आवेदन दिए थे। किन्तु वाद में जाँच की कार्यवाही के क्रम मे ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रमाण स्वरूप कैला माँझी का मृत्यु प्रमाण पत्र की

c.c. issued 20/6/17

छायाप्रति संलग्न किया गया है। उनके मरणोपरान्त आवेदित जमीन का वे उत्तराधिकारिणी हो गई। उनके बच्चे वर्तमान में नाबालिग है। पति के ईलाज में खर्च के लिए कई लोगों से कर्ज लिया गया था, जिसकी भरपाई करना आवश्यक है। इस जमीन को आवेदिका अपने पति के ईलाज खर्च एवं श्राध क्रम में आए खर्च की भरपाई के लिए बेचना चाहती है।

क्रेतागण का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैः-

01. बिक्रेता– गोलाई माँझी वेगै0 के नाम सर्वे खतियान तथा लगान रसीद की छायाप्रति।

02. क्रेता– अपने परदादा श्वसुर के पिता के नाम निबंधित सर्वेखतियान एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

उभय पक्षों को सुनने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों से स्पष्ट होता है कि इस वाद में उल्लेखित जमीन की बिक्री की अनुमति हेतु आवेदक कैला महतो एवं उनकी पत्नी छोटकी देवी के द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया गया था। किन्तु इस वाद में जाँच की कार्रवाई के दौरान ही अस्वस्थ रहने के कारण कैला माँझी की मृत्यु हो गई है। पति कैला माँझी के मरणोपरान्त वर्तमान में कैला माँझी के अंश की सम्पूर्ण चल अचल सम्पति का उत्तराधिकारिणी हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार उनकी पत्नी छोटकी देवी के पास चली गई है।

बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संताल जाति की हैं, जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आती हैं। ये दोनों एक ही ग्राम थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाली हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के परदादा श्वसुर गोलाई माँझी वेगै0 के नाम सर्वे खतियानी तथा उनके अंश की जमीन है, जिसे वे अपने पति के ईलाज खर्च में आए व्यय का खर्च की भरपाई वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदिका– छोटकी देवी पति स्व0 कैला माँझी ग्राम केरी थाना–महुआटाँड जिला– बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
केरी 135	08	724	2.81 ए0	93⅔ डी0	मो0 बड़की देवी	आश्नि माँझी	रास्ता	परती

तिरान्बे पूर्णांक दो बटा तीन डीस्मिल मात्र।

मो0 5,55,500/– (पाँच लाख पचपन हजार पाँच सौ) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता – ललिता देवी पति बिनोद चन्द्र हाँसदा ग्राम– केरी थाना –महुआटाँड़ जिला–बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

18/05/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

बेरमो (तेनुघाट)।

18/05/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 04:45:17 -08:00
Location: 192.168.1.35